सन २०२३-२४ या वर्षात आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी वितरण. (वेतन व शिष्यवृत्ती)

**महाराष्ट्र शासन**
**आदिवासी विकास विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६**
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२.
दिनांक :- **२३** ऑगस्ट,२०२३.

**वाचा :-**

१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३.
२. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बियुडी-२०२२/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६ दि.०५.०४.२०२३, दि.२८.०४.२०२३, दि.०५.०६.२०२३, दि.३०.०६.२०२३, दि.१२.०७.२०२३ व दि.२८.०७.२०२३.

**प्रस्तावना : -**

"महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३" यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलेली असुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चांतर्गत योजनांच्या बाब क्र.०१-वेतन व ३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने या बाबींकरीता ४८ % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिला आहे. सदंर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये या बाबींकरीता ४२% मर्यादेतील निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता वित्त विभागाने वितरणासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चाच्या योजनांतर्गत उर्वरीत उपलब्ध निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय : -**

आदिवासी विकास विभागाच्या "अनिवार्य खर्च" अंतर्गत मागणी क्र.टी-२ व टी-४ या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता यापूर्वी वितरीत निधी विचारात घेवून रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे उर्वरीत उपलब्ध निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे .

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील विहीत तरतुदी व अटी शर्तींचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी.

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०८१७१७०८१३९९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

KIRAN KISANRAO PAWAR

Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E7252442D, serialNumber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5EB0A0DD495EF82F989931088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO PAWAR
Date: 2023.08.24 10:48:40 +05'30'

**( किरण कि. पवार )**
**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत,**

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई
२. अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक
४. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे.
५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती.
६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर.
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प.
८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई.
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.
१२. निवड नस्ती (का-६).

| आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.२३ ऑगस्ट,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (रू.हजारात) |
| अ. क्र. | योजनेचे नांव | बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | सन २०२३-२४ साठीची अर्थसंकल्पिय तरतूद | सदर शा.नि. अन्वये वितरीत करण्यात येत असलेली तरतूद | नियंत्रक अधिकारी |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| मागणी क्रमांक-टी-२ | | | | | |
| **२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,** | | | | | |
| **०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण** | | | | | |
| १ | ००) (०१) आदिवासी विकास आयुक्तालय (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५१०२५) | ०१-वेतन | ८०००० | ४८००.०० | आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक |
| २ | ००) (०२) प्रादेशिक कार्यालये-जनजाती विकास आयुक्त.(अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५ १०३४) | ०१-वेतन | १३२८२७ | ७९६९.६२ | |
| ३ | (००) (०३) प्रकल्प अधिकारी (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५१०४३) | ०१-वेतन | ५५६२२७ | ३३३७३.६२ | |
| ४ | (००) (०४) एकात्मिकृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५१०५२) | ०१-वेतन | ६८८८ | ४१३.२८ | आयुक्त, आदिवासी, संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे |
| ५ | (०५) (०१)- जनजाती संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२२५ १३०१) | ०१-वेतन | ५२२११ | ३१३२.६६ | |
| | | ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने | १०० | ६.०० | |
| | | **एकूण** | **५२३११.००** | **३१३८.६६** | |
| | **एकूण मागणी क्रमांक टी-२** | | **८२८२५३.००** | **४९६९५.१८** | |
| **मागणी क्रमांक-टी-४** | | | | | |
| **२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा** | | | | | |
| ६ | (००) (०१) आदिवासी विकास विभाग (अनिवार्य खर्च) (लेखाशिर्ष २२५१ ०२११) | ०१-वेतन | १५४३०० | ९२५८.०० | उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई |
| | **एकूण मागणी क्रमांक टी-४** | | **१५४३००** | **९२५८.००** | |
| | **एकूण अनिवार्य खर्च**<br>**एकूण मागणी क्र.टी-२ + टी-४** | | **९८२५५३.००** | **५८९५३.१८** | |